

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(11) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 17/04/2026

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य के प्रकरणों की पैरवी करने एवं प्रस्तुत करने हेतु सुश्री निधि जसवाल, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक-D/999/2013) को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद पर तथा श्री सौरभ राजपाल, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक- D/928/2014) को पैनल लॉयर नियुक्त किया गया था।

उक्त विभागीय आदेश दिनांक 12.03.2024 के अधिकमण में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु श्री सौरभ राजपाल, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक-D/928/2014) को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एवं सुश्री निधि जसवाल, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक- D/999/2013) को पैनल लॉयर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

ह० -

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
4. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता मय अति0 महाधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण /गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर/जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. श्री शिव मंगल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को उनके पत्र 08.03.26 के क्रम में।
17. संबंधित अधिवक्तागण।
18. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
19. संबंधित कोषाधिकारी।
20. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
21. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।

17/04/2026
प्रमुख शासन सचिव, विधि